

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 1970/कार्तिक 11, 1892

No. 397]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 1970/KARTIKA 11, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd November 1970

S.O. 3642/15/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that there has been, or is likely to be substantial fall in the volume of production in respect of cotton textiles manufactured in the industrial undertakings known as Lakshmiratan Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur for which, having regard to the economic conditions prevailing there is no justification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

- (1) Shri H. C. Jain, General Manager, Delhi Cloth & General Mills Ltd., Delhi.

Members

- (2) Shri M. G. Mirchandani, Director (Technical) National Textile Corporation.
(3) Shri K. K. Dhar, Managing Director, National Textile Corporation.
(4) Shri G. S. Sial, Chairman, U.P. State Textile Corporation, Lucknow.
(5) Shri C. R. Mehta, Deputy Director, Inspection, Office of the Regional Director, Company Law Board, Kanpur.

(1751)

Member-Secy.

(6) Shri G. A. Sheth, Deputy Director, Regional Member-Secretary Office of the Textile Commissioner, Kanpur.

[No. F. 9(19)-Lic. Pol./70.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, 2 नवम्बर 1970

का० आ० 3642/15/आई० डी० आर० ए०/70.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लक्ष्मीरतन काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर नामक औद्योगिक उपक्रम में निर्मित सूती वस्त्रों के संबंध में उत्पादन के परिमाण में भारी गिरावट हुई है अथवा होने की संभावना है, जिसके लिए, विद्यमान आर्थिक स्थितियों को देखते हुए, कोई औचित्य नहीं है।

अतः अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार मामले की परिस्थितियों की समय तथा पूर्ण जांच करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित व्यक्तियों के एक निकास की एतद्द्वारा नियुक्ति करती है :—

- (1) श्री एच० सी० जैन, महा प्रबंधक, दिल्ली कलाय एण्ड अध्यक्ष
जनरल मिल्स लि०, दिल्ली।
- (2) श्री एम० जी० मीरवंदानी, निदेशक (तकनीकी), नेशनल
टेक्स्टाइल कार्पोरेशन।
- (3) श्री के० के० घर, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम सदस्य
- (4) श्री जी० एस० सिन्हा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र
निगम, लखनऊ।
- (5) श्री सी० आर० मेहता, उप-निदेशक, निरीक्षण कार्यालय सदस्य
के क्षेत्रीय निदेशक, समवाय विधि बोर्ड, कानपुर।
- (6) श्री जी० ए० सेठ, उप निदेशक, वस्त्र आयुक्त, कानपुर सदस्य-सचिव
का क्षेत्रीय कार्यालय।

[सं० एफ० 9(19)-एल० पी०/70]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव।